न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट(फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी : हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 01/2021

सोनी देवी बनाम ताराचंद आदि

दावा बाबत घोषणार्थ, स्थाई निषेधाज्ञा व बेअसर घोषित करवाने
विक्रय पत्र दिनांक 31.07.2020

प्रार्थना पत्र – अं.आदेश 7 नियम 11 सी॰पी॰सी॰
व धारा 151 सी॰पी॰सी॰

ऐडवोकेट वादी अप्रार्थी – श्रीमती स्नेहलता वर्मा
ऐडवोकेट प्रति0 प्रार्थी – श्री अमर सिंह शेखावत

:: आदेश ::

दिनांक 24.07.2024

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि :– वादीगण द्वारा वाद बेअसर घोषित करवाने विक्रय पत्र दिनांक 31.07.2020 हेतु वाद प्रस्तुत किया है जो अनुतोष राजस्व न्यायालय द्वारा नही दिया जा सकता है। विक्रय पत्र बेअसर घोषित करने का मात्र सिविल न्यायालय के अधिकार बॉर्ड बाई लॉ होने से राजस्व न्यायालय को वाद की सुनवाई का क्षैत्राधिकार नही है। प्रथम क्षैत्राधिकार अनन्य रूप से सिविल न्यायालय का है जिसका पीथ एण्ड सब्टेंस वाद पत्र की धारा 5 व अनुतोष की धारा 15 की उपधारा–क तथा ग में विक्रय पत्र को बेअसर घाषित करवाने का न्यायालय द्वारा मुख्य अनुतोष मांगा गया है जो आ0 07 नियम 11 (डी) की परिधी के अंतर्गत होने के कारण से राजस्व न्यायालय को सुनवाई करने का क्षैत्राधिकार नही होने के कारण से प्लेन्ट रिजेक्ट करवाने का आदेश दिया जावे।

इस प्रकार राज0 का0 अधिनियम की धारा 207 में भी राजस्व न्यायालय की अधिकारिता तय की हुई है तथा सिविल न्यायालय को विक्रय पत्र रदद् करना/ बेअसर करना व दान पत्र को बेअसर करना व शुन्य घोषित करने की राजस्व न्यायालय को क्षैत्राधिकारीता नही है। आर0 आर0 डी0 1995 पेश सं0 113 में सिद्वांत प्रतिपादित किया है चूंकि विक्रय पत्र की वैधता की जांच करने का राजस्व न्यायालय की क्षैत्राधिकारीता नही होने के कारण से प्रथम दृष्टया वाद को रिजेक्ट करवाया जावे अथवा अंतर्गत आ0 07 नियम 10 सीपीसी के तहत वाद वादिया को वापस लौटाया जावे जिससे की चाही गई सहायता सक्षम सिविल न्यायालय से प्राप्त हो सके।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादीया का वाद खारीज फरमाया जावे।

वकील अप्रार्थी (वादी) ने प्रतिवादी की प्रार्थना पत्र का जबाब पेश कर कथन किया कि वादिया ने वाद पत्र में अपने पिता स्व0 श्रीरामूराम के कब्जे काश्त की खातदारी की जमीन में अपने जायज पैत्रिक हिस्से 1/6 के खातेदारी काश्त की घोषणा का अनुतोष चाहा है जो राजस्व न्यायालय की पूर्ण क्षैत्राधिकार का अनुतोष है प्रार्थीया अजनबी क्रेता है तथा गलत रूप से 1/6 हिस्से से ज्यादा हिस्से 1/4 हिस्से का विक्रय पत्र अपने पक्ष मे तस्दीक करवाया है तथा वादिया ने अपने जायज पैत्रिक हिस्से 1/6 के हिस्से की खातेदारी की घोषणा चाही है जो श्रीमान न्यायालय द्वारा ही दी जा सकती है तथा आगे धारा में वर्णित विक्रय पत्र को रद्द करना/ बेअसर करने का अनुतोष वादिया के द्वारा नही चाहा गया है वादिया द्वारा अपने जायज पैत्रिक खातेदारी हिस्से की मांग अनुतोष के रूप में है। वादिया के खातेदारी अधिकारों पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत विक्रय पत्र बन जाने से श्रीमान न्यायालय के क्षैत्राधिकार में कोई बाधा नही होती है प्रार्थीया द्वारा गलत आधारों पर न्यायालय के क्षैत्राधिकार पर आक्षेप लगाये गये है जो पूर्णतया गलत आधारों पर आधारित होने से खारिज योग्य है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

जबाबदेही पेश होने पर बहस प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पर अधिवक्ता उभय पक्षकारान् की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रतिवादी/प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

ठहराते हुए कथन किया कि वादीयागण द्वारा वाद पत्र विक्रय पत्र दिनांक 31.07.2020 को बेअसर घोषित करवाने हेतु वाद पेश किया है उक्त विक्रय पत्र बेअसर घोषित करने का क्षैत्राधिकार मात्र सिविल न्यायालय को होने के कारण वाद बॉर्ड बाई लॉ है इसलिए क्षैत्राधिकार के अभाव में वाद को ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी के तहत खारिज फरमाया जावे। जबाब बहस में वकील वादी ने कथन किया कि वादिया ने वाद पत्र में अपने पिता स्व0 श्रीरामूराम के कब्जे काश्त की खातदारी की जमीन में अपने जायज पैतृक हिस्से 1/6 के खातेदारी की घोषणा का अनुतोष चाहा है जिसका राजस्व न्यायालय को पूर्ण क्षैत्राधिकार है तथा प्रार्थीया अजनबी क्रेता है जिसने गलत रूप से 1/6 हिस्से से ज्यादा हिस्से 1/4 हिस्से का विक्रय पत्र अपने पक्ष मे तस्दीक करवाया है तथा वादिया ने अपने जायज पैत्रिक हिस्से 1/6 के हिस्से की खातेदारी की घोषणा चाही है जो राजस्व न्यायालय द्वारा ही दी जा सकती है तथा आगे धारा में वर्णित विक्रय पत्र को रद्द करना/ बेअसर करने का अनुतोष वादिया के द्वारा नही चाहा गया है वादिया द्वारा अपने जायज पैत्रिक खातेदारी हिस्से की मांग मूख्य अनुतोष के रूप में है। वादिया के खातेदारी अधिकारों पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत विक्रय पत्र बन जाने से श्रीमान न्यायालय के क्षैत्राधिकार में कोई बाधा नही होती है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीया द्वारा वाद पत्र पेश कर मुख्य अनुतोष चाहा है कि विवादग्रस्त भूमि का गलत रूप से नामांतकरण संख्या 510 दिनांक 18.07.1976 के द्वारा खातेदारी दर्ज की गई जिससे राजस्व रिकॉर्ड में हिस्सेदारी गलत दर्ज हो गयी जिसका फायदा उठाकर प्रतिवादी सं0 1 लगायत 08 ने अपने जायज 1/6 हिस्से से अधिक 1/4 हिस्से का विक्रय जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 31.07.2020 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 12 को कर दी जिसे निरस्त कर वादियागण अपने हिस्से की घोषणा करवाना चाहती है। न्यायालय हाजा उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को निरस्त करने का क्षैत्राधिकार नही है तथा जब तक उक्त विक्रय पत्र निरस्त नही किया जाता तब तक वादिया के हक हिस्से बाबत किसी प्रकार की घोषणा नही की जा सकती है। अतः वादिया का अनुतोष उक्त विक्रय पत्र दिनांक 31.07.2020 को निरस्त कराये बिना नही दिया जा सकता है। वादिया ने अपने वाद पत्र की मद संख्या 15(ग) में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 31.07.2020 को निरस्त/बेअसर कराने का अनुतोष चाहा है। उक्त रजिस्टर्ड दस्तावेज की वैधता का निर्धारण माननीय सिविल न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है। अतः दावा क्षैत्राधिकार के बाहर होने के कारण आदेश 07 नियम 11 के अनुसार बार्ड बाई लॉ है। फलस्वरूप प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा पेश अर्न्तगत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी जाब्ता दीवानी स्वीकार किया जाकर मौजुदा वाद वादी क्षैत्राधिकार के अभाव में खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। निर्णय दिनांक 24.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24/07/24

(हवाई सिंह यादव)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़